संख्या- 82/2015/283/22-4-15-105(ब)/08

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 25 मार्च, 2015

विषय- कारागारों की संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कारागारों में वायरलेस सेटों की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6601/आधु0-1/वायरलेस/2014, दिनांक-28.02.2015 के सन्दर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारागारों में वायरलेस सेटों की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-1133/22-4-14-105(ब)/08, दिनांक 14.10.2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 1,61,50,000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 32,17,703/- में से प्रदेश के कारागारों की संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु 13 अदद स्टेटिक सेट(प्रति सेट लागत रू0 51638.41 मात्र) एवं 196 अदद हैण्ड हेल्ड सेटों(प्रति सेट लागत रू0 12075.00 मात्र) को क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 30,38,000/-(रूपया तीस लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्टेटिक तथा हैण्ड हेल्ड वायरलेस सेटों का क्रय, भण्डार क्रय नियमों एवं संगत नियमों/शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा और इसका दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) धनराशि जिस प्रायोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय की जायेगी। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत पूंजी लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14- कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था -26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एंव संयंत्र" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 14.10.14 की अन्य शर्तें यथावत लागू होंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-82/2015/283(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन,लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in